प्राथमिक शिक्षाः दशा एवं सुझाव

*सरिता पाण्डेय**

हमारे भारतीय समाज में शिक्षा व्यवस्था अनेक तरह की समस्याओं से ग्रसित है। विशेषतः प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था अपव्यय एवं अवरोधन जैसी समस्याओं से जूझ रही है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक बच्चा शिक्षित नहीं हो पा रहा है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे गरीबी या फिर बालक–बालिका में भेद–भाव। अनेक बच्चों पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव होता है। बालकों को मवेशियों की देख–भाल करनी होती है। बालिकाओं की या तो अपने छोटे भाई–बहनों की देख–रेख करनी होती है या घर में लोगों की देख–भाल।

तमाम सरकारी प्रयासों के बाद भी उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा का हाल बेहाल है। सिर्फ सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही अरबों रूपये खर्च करने के बाद भी बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव तो है ही, शिक्षकों की भी भारी कमी है। परेशान करने वाली बात तो यह है कि इतने सारे सरकारी दावों एवं प्रयासों के बावजूद प्राथमिक स्तर पर बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई से मुँह मोड़ लेते हैं। सभी को शिक्षित करने के लिए 2001–02 से सर्वशिक्षा अभियान की शुरूआत की गयी। इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत 31 मार्च, 2009 तक लगभग 13328.79 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं पर 'स्टेट एलमेन्ट्री एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड 2008–09 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 8102 प्राथमिक और 2502 उच्च प्राथमिक और 2868 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही 152 भवन विहीन प्राथमिक व 49 उच्च प्राथमिक विद्यालय बिना छत के खुले आसमान के नीचे चल रहे हैं।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों व यूनिफार्म के प्रलोभनों के अलावा मध्यान्ह पोषहार जैसी योजना भी प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के ठहराव को बढ़ाने में विशेष सहयोग नहीं दे पा रही है। फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर बच्चों में पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति की दर अन्य प्रमुख राज्यें की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में अधिक है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन, विश्वविद्यालय और मानव–संसाधन विकास मंत्रालय के डिपार्टमेन्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन एण्ड लिटरेसी की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007–08 में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की बीच में विद्यालय छोड़ने की दर 16.22 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2005–06 में यह 12.33 फीसदी थी। इसकी अपेक्षा 2007–08 में बीच में ही विद्यालय छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की आन्ध्र प्रदेश में दर 6.88 बिहार में 13.79, गुजरात में 4.20, कर्नाटक में 3.39, मध्य प्रदेश में 8.57, महाराष्ट्र में 3.36 और राजस्थान में 15.39 प्रतिशत थी।

---

* शोध छात्रा–शिक्षाशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

विद्यालय की धारण क्षमता में वृद्धि एवं ह्रास अवरोध में कमी के लक्ष्य को प्राप्त कर भी लिया जाए फिर भी यदि सम्प्राप्ति स्तर पर सुधार नहीं होता है तो हमारी शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। विद्यालय में बच्चों की संख्यात्मक वृद्धि के साथ उनका गुणात्मक उन्नयन करना भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है किन्तु हमारे परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पढ़ाई की गुणवत्ता को विशेष रूप से प्रभावित कर रही है। 'स्टेट एलीमेन्ट्री एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड 2008–09' के मुताबिक 182 प्राथमिक व 911 उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं। प्रदेश के 4229 प्राथमिक व 8884 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक नियुक्त है। जब कि मानक के अनुसार प्रति 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक तैनात होना चाहिए। इसके विपरीत प्रदेश में 33.52 प्रतिशत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों मे व 22.31 फीसदी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साठ या उससे अधिक विद्यार्थियों पर एक शिक्षक तैनात है। शिक्षकों की संख्या के साथ–साथ विद्यालय का प्रभावी वातावरण एवं निर्धारित विषयवस्तु की सम्प्राप्ति भी गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

इसके साथ ही बच्चों में हिंसात्मक प्रवृत्ति भी एक गंभीर समस्या के रूप में विकसित हो रही है। इस समस्या का एक कारण बच्चों को विद्यालय में दिया जाने वाला शारीरिक दण्ड भी हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक छात्र सम्बन्ध प्रभावित हो रहा है। हालांकि ऐसे अपराधों के लिए जिसमें बच्चों के प्रति हिंसा की गयी हो या उन्हें धमकी दी गयी हो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 23 किशोर न्याय अधिनियम 2000 में 6 महीने जेल या भारी आर्थिक जुर्माना का प्राविधान किया है किन्तु अभी यह समस्या विचारणीय बनी हुई है।

इन समस्त समस्याओं से उबरने के लिए सरकार तथा अन्य निकायों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं जिनमें से कुछ अभियान निम्नलिखित हैं:–

सर्व शिक्षा अभियान

शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाया गया यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने के लिए सन 2001–02 से प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क कर दी गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक स्तर पर छात्रों का प्रवेश न केवल 98 प्रतिशत हो गया है बल्कि छात्रों के ठहराव की समस्या भी 3–4 प्रतिशत तक कम हुई है।

दसवीं योजना के अन्तर्गत 1.87 लाख विद्यालय खोले गये हैं। 8.12 लाख अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, 1.70 लाख भवनों का निर्माण, 7.13 लाख कक्षाओं का निर्माण तथा 2.18 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही साथ कम्प्यूटरीकृत शिक्षा की व्यवस्था भी हो रही है।

मध्यान्ह पोषाहार व्यवस्था

सन् 2001 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को प्राथमिक स्तर पर मध्यान्ह पोषाहार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जिसमें प्रतिदिन 300ग्राम कैलोरी और 8–12 ग्राम प्रोटीन होना निर्धारित है। उत्तर प्रदेश में जनवरी 2004 से प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह पोषाहार योजना प्रारम्भ कर दी गयी है। सन् 2007 से यह योजना उच्च–प्राथमिक स्तर पर भी लागू कर दी गई है।

शिक्षा मित्र

सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की भी व्यवस्था की है जो स्थानीय होने के कारण वहां के बच्चों की समस्याओं को समझ सकेंगे तथा समाधान प्रस्तुत कर सकेंगे।

शिक्षा में पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप

सरकार ने माध्यमिक एवं उच्चतर स्तर पर शिक्षा में पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप की भी व्यवस्था की है। इसके अन्तर्गत निजी विद्यालयों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही सरकार द्वारा बाल–सखी, गीना–मंच, नई दिशा इत्यादि कार्यक्रम समय–समय पर चलाये जाते रहे हैं।

संशोधित पाठ्यक्रम कार्यक्रम–2005

सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम को उपयोगी एवं व्यवहारिक बनाने के लिए 2005 से यह योजना चलाई जा रही है।

सरकार द्वारा चलाई गई अनेक योजनाओं एवं प्रयासों के बाद भी वर्तमान समय में प्राईवेट डेवलपमेन्ट एजेन्सियों के मुताबिक वर्ष 2009 में केरल में साक्षरता दर 91.01 प्रतिशत महाराष्ट्र में 77.06 प्रतिशत, तमिलनाडु में 74.02 प्रतिशत, गुजरात में 72.01 प्रतिशत, पंजाब में 74.0 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 71.06 प्रतिशत, कर्नाटक में 69.03 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 60.09 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 61.06 प्रतिशत तथा सबसे कम बिहार में सबसे कम 54.06 प्रतिशत है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा शैक्षिक इमारत की नींव होती है। अतः प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से और अधिक गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए इसके लिए उपर्युक्त सरकारी प्रयासों के साथ–साथ निजी स्तर पर भी प्रयास किये जाने चाहिए। बच्चों के लिए भयमुक्त, स्वतंत्र वातावरण की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षण अधिगम का कार्य बाल केन्द्रित और क्रिया आधारित होना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. पाण्डेय कल्पलता, क्वालिटी कन्ट्रोल इन स्कूल एजुकेशन, ए पेपर प्रजेन्टेड इन नेशनल सेमिनारः शिक्षाशास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
2. दीक्षित, राजीव– बेसिक शिक्षा का रिपोर्ट कार्ड निराशाजनक– आसान न होगी ''रागी को शिक्षा की राह'' साभार 'दैनिक जागरण'
3. पाठक पी0डी0–(संशोधित संस्करण 2009) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
4. गुप्ता अल्का, गुप्ता एस0पी0(2009) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, शारदा पुस्तक मन्दिर, इलाहाबाद
5. शर्मा गीता–(2002) प्राथमिक स्तर पर बच्चों के विद्यालय छोड़ने की समस्याओं का अध्ययन, एम0एड0 लघुशोध प्रबन्ध, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

*****